न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2016 (उदयपुर डिकी)

छोटू पिता गोपा जी भील, निवासी उबेश्वर, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर हाल रोहन होटल पैलेस, झामर कोटड़ा रोड़, मनवाखेड़ा, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. हीरा पिता कना उर्फ कसना मीणा (मृतक) के बजाय :–

1/1.उदी बाई बेवा हीरा मीणा, निवासी टेका खेड़ा, तहसील कपासन, हाल भमरासिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/2.ऊँकार पिता हीरा मीणा, निवासी टेका खेड़ा, तहसील कपासन, हाल भमरासिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/3.भैरूलाल पिता हीरा मीणा, निवासी टेका खेड़ा, तहसील कपासन, हाल भमरासिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/4.उदयलाल पिता हीरा मीणा, निवासी टेका खेड़ा, तहसील कपासन, हाल भमरासिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/5.श्रीमती लक्ष्मी पुत्री हीरा मीणा, निवासी टेका खेड़ा, तहसील कपासन, हाल भमरासिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2. घासी पिता हीरा मीणा, निवासी ढूढीया, हाल गोटिया, वाया कुन्थवास, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

3. राजस्थान जरिये तहसीलदार मावली, जिला, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिकी उपखण्ड अधिकारी मावली

दिनांक 19.05.2008, प्र. सं. 24/07

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री चॉदमल सांखला अभिभाशक अपीलान्ट

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

23—07—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नन्दोली खुर्द (छोटी) में आराजी नंबर 602/239 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान में घासी पिता हीरा मीणा के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। आराजी नंबर 239 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा के वर्तमान नंबर 602/239 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 30—04—1988 को 2500/— रूपये में वादी को विकय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया था, तब से वादी निरन्तर काबिज चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज होने से उसे विकय करने पर आमादा है। वादी का कब्जा 19 वर्षो से अधिक समय से होने के कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वादी उक्त भूमि के खातेदार हो चुके हैं। अतः वादी को उक्त भूमि का घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 19—05—2008 से वादी का वाद स्वीकार कर डिकी जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16—02—2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 19–01–2016 को प्रार्थी ने जब पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उसे उक्त निर्णय की जानकारी हुई। इस प्रकार 7 वर्ष 8 माह विलम्ब हुआ है। अपोलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। चूंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था तथा उसे निर्णय व डिक्री की जानकारी होने की पथम दृष्टया कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावुण के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट ने धारा 151 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसने दिनांक 19–01–2018 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा उक्त भूमि पर ऋण भी लिया है। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से पीडित पक्षकार है। अतः उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया तो पाया कि अपीलान्ट विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने का कथन करता है, किन्तु किसी प्रकार का विक्रय पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तद्नुसार हम उसे पीडित पक्षकार नहीं पाते हैं। अतः अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट ने उक्त भूमि दिनांक 19–01–2018 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करना बताया है। हालांकि इस बाबत् उन्होंने कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, फिर भी न्यायहित में उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि उसके द्वारा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी है, तब से उसका कब्जा चला आ रहा है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय में वह पक्षकार नहीं होने से उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का असवर नहीं मिला है।

अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय करने हेतु पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री को सही बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि दिनांक 19–01–2018 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करना बताया है, जबकि इस बाबत् उन्होंने कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद एडवर्स पजेशन के आधार पर डिक्री किया है जो प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2018 डी.एन.जे. पेज 177 की रोशनी में त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19–05–2008 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को प्रकरण में पक्षकार के रूप में संस्थित कर तथा उसे विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निणय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 23–09–2019 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 23–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

रामा उर्फ रामचन्द्र पिता भीमा गाडरी, जी गाडरी,
नि.आसना, तह.मावली, जिला उदयपुर

बनाम

नारायण पिता दूदा निवासी आसना, तह॰ मावली,
उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....200 / 2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....मावली..... मुकाम.....मुवर्खे.....30.....माह.....06.... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....30....माह.....04.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान
व हाजरी.....श्री मनीष शर्मा.....मिनजानिब अपीलान्ट व....श्री रोशनलाल डांगी

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....30.....माह.....04... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।